प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 25/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूरविप्रा ने 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर सिफारिशें जारी की

नई दिल्ली, 22.04.2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर सिफारिशें जारी की हैं।

इस संबंध में, दूरसंचार विभाग से 16 जुलाई 2019 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सरकार ने 'वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर भादूविप्रा की 04 दिसंबर 2017 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और इसके अलावा, भादविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 11 (1) (ए), जिसमें भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन किया गया है, के अनुसार वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर इसी तरह की सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है।

2. वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार, वायरलाइन एक्सेस सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के मानदंडों को तय करने के लिए सिफारिशों को तैयार करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। बहरहाल, 04 दिसंबर, 2017 को वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर सिफारिशों को तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए और जांचे गए अधिकांश मुद्दे, वायरलाइन एक्सेस सेवाओं पर भी समान रूप से लागू थे; प्राधिकरण ने प्रासंगिक मुद्दों पर हितधारकों से जानकारी लेने के लिए 31 दिसंबर 2019 को 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर विस्तृत मसौदा सिफारिशें जारी कीं।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया । इनकी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क) टीएसपी को इसकी सेवाओं के वाणिज्यिक लांच से पहले नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए परीक्षण चरण में टेस्ट यूजर्स का नामांकन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) यदि कर्मचारी और बिजनस पार्टनर को केवल परीक्षण उद्देश्य के लिए दिए गए वायरलाइन टेलीफोन टेस्ट कनेक्शन का उपयोग करके नेटवर्क का परीक्षण किया जाता है तो समयसीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

ग) टीएसपी द्वारा एलएसए में नामांकित टेस्ट यूजर्स की संख्या उक्त नेटवर्क के लिए उसकी स्थापित नेटवर्क क्षमता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ) टेस्ट यूजर वाले टेस्ट चरण में 90 दिनों की सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा, टीएसपी द्वारा मुहैया कराया गया नेटवर्क परीक्षण के लिए कुल समय 180 दिनों से अधिक नहीं होगा।

ड.) सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सभी लालसेंसिंग प्रावधान का लाइसेंसधारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

च) टीएसपी को पारदर्शिता के साथ यूजर को सूचना देनी चाहिए कि टेस्ट चरण के दौरान कोई प्रभार (नियत प्रभार या उपयोग आधारित प्रभार) नहीं होगा, सीपीई (ग्राहक परिसर उपकरण) निःशुल्क मुहैया कराया जाता है, वाणिज्यिक की संभावित लांच की तारीख।

4. सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91–11–23233291 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।

Scanned with CamScanner